भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1834
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

बिहार में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध
1834 श्री संजय यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अनुसार वर्ष 2023 में, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों की हत्याओं के मामले में बिहार समस्त राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर था, साथ ही एनसीएससी ने भी बिहार में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है;
(ख) वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां एससी/एसटी समुदाय के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं;
(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां अन्य पिछड़े समुदायों (ओबीसी) के लोगों के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं;
(घ) हाशिए पर पड़े समुदायों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के विरूद्ध हत्याओं एवं कुल अपराध/अत्याचार के

तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक में दिया गया है। एनसीएससी ने सूचित किया है कि एनसीआरबी द्वारा 'क्राइम इन इंडिया 2022' में प्रकाशित आंकड़ों को एनसीएससी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में शामिल किया गया है। एनसीआरबी द्वारा श्रेणीवार अपराध डेटा केवल अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा जाता है।

(घ) एवं (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', 'राज्य सूची' के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों का होता है, जो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार देश भर में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध को रोकने में सहयोग करती है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गए प्रमुख कदम अधोलिखित है:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत अवधारणा क्षेत्र और संस्थागत सुदृढीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण हेतु मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन तैयार करना, विशेष न्यायालयो और मुख्य रूप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018" के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया था। एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए अत्याचारों के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की स्थापना की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है, जिसका

उद्देश्य उनकी शिकायतों का निवारण करना और कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इन अधिनियमों, नियमों के कार्यान्वयन के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत (एनएएलएसए) का भी सहयोग लिया गया है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने की सलाह देता रहा है। ये परामर्श इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अत्याचार-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में पुलिसिंग बुनियादी ढांचे से सुसज्जित पुलिस कर्मियों को तैनात करने की सलाह भी दी है।

इसके अलावा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989" के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955" तथा "अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम 1989", के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैं:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण और सुदृढ़ीकरण।

(ii) विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण।

(iii) अत्याचार पीड़ितों की राहत और पुनर्वास।

(iv) अंतर-जाति विवाह के लिए प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।

(v) जागरूकता सृजन।

******

अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य-वार, वर्ष 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति हत्या एवं कुल अपराध के तहत दर्ज मामले

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित जनजातियाँ	
		हत्या	अनुसूचित जातियों के विरूद्ध कुल अपराध	हत्या	अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध कुल अपराध
1	आंध्र प्रदेश	49	2315	8	396
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	0	14	0	9
4	बिहार	168	6509	0	146
5	छत्तीसगढ़	10	323	13	516
6	गोवा	0	8	0	1
7	गुजरात	30	1279	12	330
8	हरियाणा	45	1633	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	210	0	4
10	झारखंड	0	674	2	283
11	कर्नाटक	72	1977	17	438
12	केरल	11	1050	5	172
13	मध्य प्रदेश	83	7733	61	2979
14	महाराष्ट्र	76	2743	26	742
15	मणिपुर	0	0	0	1
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	3	5	4	29
18	नागालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	21	2902	16	773
20	पंजाब	6	162	0	0
21	राजस्थान	99	8752	40	2521
22	सिक्किम	0	3	0	4
23	तमिलनाडु	55	1761	2	67
24	तेलंगाना	31	1787	10	545
25	त्रिपुरा	0	2	0	3
26	उत्तर प्रदेश	189	15368	0	5
27	उत्तराखंड	3	114	0	1
28	पश्चिम बंगाल	2	104	1	90
28	**कुल (राज्य)**	**954**	**57428**	**217**	**10055**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	3
30	चंडीगढ़	0	4	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	0	0	0	5
32	दिल्ली	0	130	0	0
33	जम्मू और कश्मीर *	0	11	0	1
34	लद्दाख	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	9	0	0
36	**कुल (संघ राज्य क्षेत्र)**	**0**	**154**	**0**	**9**
	कुल (अखिल भारत)	**954**	**57582**	**217**	**10064**

स्त्रोत: क्राइम इन इंडिया